आवश्यक/बैठक

संख्या: 44/2019/3037/12-2-2019-एस.85/2008

प्रेषक,

जी0 एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल।
2. जिलाधिकारी,
मेरठ, बुलन्दरशहर, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्धनगर, बागपत, सहारनपुर, मुजफफरनगर तथा शामली।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019

विषय: रबी अभियान 2019-20 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 2980/12-2-2019-एस.85/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिसके द्वारा मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल की जनपद मेरठ में दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल की जनपद मेरठ में दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को आयोजित होने वाली रबी उत्पादकता गोष्ठी अब दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को जनपद मेरठ में आयोजित की जाएगी।

कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0 एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:44/2019/3037(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ पशुपालन/ मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण/परती भूमि/रेशम, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/डीम्ड विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान/ वाराणसी हिन्दू विश्वविश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/ उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. सामान्य प्रबंधक, संबंधित बीमा कम्पनियॉ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
16. समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
19. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
21. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(जी0 एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।